पत्रांक–1प्रा0आ0–13 / 2016 ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः **राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

वर्त्तमान में गंगा नदी के जल स्तर में हुई वृद्धि के कारण बक्सर जिला से कटिहार जिला तक गंगा नदी के सटे 12 जिलों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में बाढ़ से प्रभावितों को निष्कासित कर राहत केन्द्रों में लाया जा रहा है। ऐसे भी दृष्टांत पाए जा रहे हैं कि प्रभावितों द्वारा बाढ़ के कारण अपने घरों से निकलकर चिह्नित राहत केन्द्रों में ना जाकर ऊँचे स्थानों / सड़कों अथवा बांधों पर शरण लिया जा रहा है। कतिपय जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा ऐसे स्थानों को बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप राहत केन्द्र घोषित करने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की जा रही है।

2. दिनांक 21.08.2016 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बाढ़ से प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा के कम में यह स्पष्ट निदेश दिया गया है कि वैसे प्रभावित जो चिह्नित राहत केन्द्रों में नहीं आना चाहते हैं तथा ऊँचे स्थान, सड़क या बांध पर शरण लिए हुए हैं, वैसे स्थानों को राहत केन्द्र घोषित कर बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप साहाय्य उपलब्ध करायी जाए। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3145 दिनांक 23.08.16 निर्गत किया गया है।

3. राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 2493 / आ0प्र0 दिनांक 05.09.2008 तथा पत्रांक 2170 / आ0प्र0 दिनांक 02.08.2009 द्वारा विस्तृत निदेश दिया जा चुका है। पूर्व में निर्गत इन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में निम्न अनुदेश दिए जा रहे हैं :

3.1. **<u>पंजीकरण</u>** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर /

सेविका/ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/ साक्षरता/ सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/ शिक्षक/ पंचायत रोजगार सेवक आदि की सेवा ली जा सकती है।

3.2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितों को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह–शाम) मुहैय्या कराया जाना है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/ पुरूषों की सेवाएं इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलो में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन के रसोईया अथवा आंगनबाड़ी की सहायिका को उपलब्धता के आधार पर रखा जा सकता है।

यदि यह संभव न हो तो निर्वाचन के समय भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।

पका हुआ भोजन बनाने में आए व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न की आपूर्ति मद से की जाएगी।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए। **इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।**

3.3. **दरी/ चटाई** – विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/ चटाई की व्यवस्था की जायेगी।

3.4. **बच्चों के लिए दुग्ध** – पाँच वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह – शाम) आवश्यकतानुसार दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्यान्न की आपूर्ति मद से की जायगी।

3.5. **रोशनी** – कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। ऊर्जा विभाग द्वारा राहत केन्द्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। यदि यह संभव न हो तो इसके लिए generator में diesel/kerosence, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा। इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जनसंख्या का निष्क्रमण मद से की जाएगी।

3.6. **पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता** – राहत केन्द्रों में पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है। राहत केन्द्रों में सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

3.7. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा** – राहत केन्द्रों में औषधि के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। गर्भवती महिलाओं के प्रसूति की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

3.8. **सुरक्षा व्यवस्था** – अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी।

3.9. **मानदर** – राहत केन्द्रों हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित किया जाता है :–

| | |
|---|---|
| 1. पका हुआ भोजन | (क) दो वक्त (सुबह–शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा। |
| | (ख) चावल प्रति वयस्क – 500 ग्राम, प्रति अवयस्क – 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा। |
| | (ग) दाल 100 ग्राम, वयस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा। |
| | (घ) सब्जी प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से। |
| | (च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 20 रू0 की दर से। |
| | (छ) रसोईयों के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा। |
| | (ज) चावल, दाल, तेल, सब्जी एवं ईंधन के दर का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। |
| 2. रोशनी | (क) ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति अथवा आवश्यकतानुसार भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था। |
| | (ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। |
| | (ग) 1 माह में 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा। |
| | (घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 3. दरी / चादर | इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था / स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे। |
| 4. बच्चों के लिए दुग्ध | (क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| | (ख) मुहैय्या कराये गए दुग्ध अथवा मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। |
| 5. पेयजल/अस्थायी शौचालय/स्वच्छता | इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी। इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। |
| 6. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। |
| 7. कैम्प व्यवस्था | परिवहन तथा आकस्मिक व्यय – यथा आवश्यकता। |

3.10. **<u>लेखा/पंजियों का संधारण</u>** – राहत केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियां संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़ बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबंधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाय। भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(घ) बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे।

(ड़) सरकारी संख्या/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री को उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा–जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

3.11 आंगनबाड़ी का संचालनः यदि राहत केन्द्रों का संचालन लंबे समय तक करने की आवश्यकता हो तो राहत केन्द्रों में आंगनबाड़ी की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

3.12 प्राथमिकता शिक्षाः इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा कर ली जाएगी।

4. राहत केन्द्रों की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भोजन सामग्री एवं बच्चों के लिए दुग्ध | 2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति |
| 2. | दरी/चटाई एवं रोशनी | 2245–02–112–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण |
| 3. | पेयजल | 2245–02–102–0001– पेयजल की आपूर्ति |
| 4. | अस्थायी शौचालय | 2245–02–109–0001– खराब जलापूर्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना |

विश्वासभाजन

ह0/–

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक .....3174...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/8/16.

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ ऊर्जा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8

प्रधान सचिव